

29/4/16

वकील शर्मा एव शर्मा स्वयं अनुपस्थित। अधीनस्थों की ओर से कोई उपस्थित नहीं। शर्मा एव शर्मा वकील को 5 बजे तक अदालत उठने तक हर हर कर आवाजे दिलाई गई परन्तु शर्मा की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

नोट: प्रकरण अदम हाजिरी अदम पैरवी में शारिज किया जाता है। पत्रावली कैबल शुभारंभ होकर नम्बर से कम है। बाद तकमील दफ्तर दारिपल है।

सखण्ड अधिकारी  
बसुदा (अजमेर)

